कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर,जिला–दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज कैलाश बनाम रामभरोसी मु.नं.– 59/22 किस्म – T.D.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रा.पत्र पर प्रार्थी वकील की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश प्रा.पत्र T.D. दिनांक 24.4.25 को पेश हो। ह उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	
	24.4.25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थीगण का प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर होकर रेकार्ड के साथ नत्थी हो। ह उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर
प्र. पत्र संख्या 59/22
कैलाश वगै. बनाम रामभरोसी वगै.
निर्णय दिनांक 24.04.2025

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
59/2022	21.07.2022	24.04.2025

बउनवान

1. कैलाश पुत्र बद्रीनाथ, निवासी रानापाडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
2. मोहन पुत्र बद्रीनाथ, निवासी रानापाडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
3. हीरा पुत्री बद्रीनाथ, निवासी रानापाडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।

..प्रार्थीगण

बनाम

1. रामभरोसी पुत्र धन्ना, निवासी रानापाडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
2. हीरालाल पुत्र रामभरोसी, निवासी रानापाडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
3. बनवारी पुत्र रामेश्वर, निवासी रानापाडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
4. बलवीर पुत्र रामेश्वर, निवासी रानापाडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
5. ओमी पुत्र रामेश्वर, निवासी रानापाडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
6. कंचन पुत्र जम्बूरा नाथ, निवासी रानापाडा,तहसील बैजूपाडा, दौसा।
7. राजेश उर्फ राजू पुत्र कंचन नाथा, निवासी रानापाडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
8. मोहर सिंह पुत्र कंचन, निवासी रानापाडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
9. संतलाल पुत्र फुलचन्द, निवासी रानापाडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
10. काडू पुत्र सुरेश, निवासी रानापाडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
11. कमलेश पुत्र पूरण, निवासी रानापाडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
12. सरयू पुत्र पूरण, निवासी रानापाडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
13. सीताराम पुत्र पूरण, निवासी रानापाडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
14. राकेश पुत्र पूरण, निवासी रानापाडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
15. रिंकू पुत्र पूरण, निवासी रानापाडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
16. उप पंजीयन अधिकारी, उपपंजीयक कार्यालय, तहसील बैजूपाडा।

..अप्रार्थीगण

उपस्थित

1. अभिभाषक प्रार्थीगण – श्री लक्ष्मीनारायण मीना ।

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत
धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

1. प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बावत अस्थाई निषेधाज्ञा अभिभाषक ने इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि वादग्रस्त आराजीयात खतौनी सं. नई 18 पुरानी 70 के खसरा सं. 649 रकबा 0.02 हैक्टे. 650 रकबा 0.03 हैक्टे., 654 रकबा 0.01 हैक्टे., 655 रकबा 0.87 हैक्टे., 656 रकबा 0.04

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

एजेन्टो घरवालो, नौकरो व अन्य मददगारान के जरिये भूमि खसरा सं. 649, 650 व 659 वाके ग्राम रानापाडा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा में किसी भी प्रकार का खाम या पुख्ता निर्माण करने से, प्रार्थीगण को फसल बोने काटने में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा करने से, प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग इस्तेमाल में किसी भी प्रकार की बाधा कारित करने से पाबंद रहें। विवादित आराजीयात की मौके की व राजस्व रिकार्ड की यथावत स्थिति बनाये रखे।

2. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया तथा अप्रार्थीगण को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र नोटिस जारी किए गए। नोटिस तामील होने के बाबजूद अप्रार्थीगण की ओर से न्यायालय में कोई जबाव प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए जबाव का अवसर बन्द कर दिया गया।

3. प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थीगण पक्ष ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा तदनुसार प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा अभिभाषक प्रार्थीगण पक्ष की बहस पर मनन किया। अस्थायी व्यादेश जारी किये जाने बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 में प्रावधान है कि–

212. व्यादेश के लिए और रिसीवर की नियुक्ति के लिए उपबंध – इस अधिनियम के अधीन किसी वाद या कार्यवाही में यदि शपथ–पत्र द्वारा अथवा अन्यथा यह सिद्ध हो जाये कि –

(क) किसी सम्पत्ति का, जिससे ऐसा वाद वा कार्यवाही संबंधित है, उसके किसी पक्षकार द्वारा दुर्व्ययन करने, उसे नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने का खतरा है, या

(ख) ऐसे वाद या कार्यवाही का कोई पक्षकार, न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के अनुक्रम में उक्त सम्पत्ति को हटाने अथवा व्ययन करने की धमकी देता है या ऐसा आशय रखता है।

तो न्यायालय अस्थायी व्यादेश कर सकेगा और, यदि आवश्यक हो तो, रिसीवर नियुक्त कर सकेगा।

(2) कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन व्यादेश किया गया है अथवा जिसकी सम्पत्ति के बारे में रिसीवर नियुक्त किया गया है इतनी रकम की नकद प्रतिभूति दे सकता है जितनी, वाद या कार्यवाही ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध विनिश्चित होने की दशा में विरोधी पक्षकार को मुआवजा देने के लिए न्यायालय अवधारित करे, और ऐसी प्रतिभूति की रकम जमा किये जाने पर न्यायालय, यथास्थिति, व्यादेश या रिसीवर की नियुक्ति के आदेश को प्रत्याहृत कर सकेगा।

4. प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने के लिए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं को तय किया जाना है। जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 के अनुसार, ग्राम रानापाडा तहसील बैजूपाडा में स्थित वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थीगण की खातेदारी आराजीयात है। इस प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध वाद पत्र बेदखली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा) सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

हैक्टे., 659 रकबा 0.06 हैक्टे., कुल किता 6 कुल रकबा 1.03 हैक्टे., वाके ग्राम रानापाडा, पटवार हल्का पून्दरपाडा, तहसील बैजूपाडा जिला दौसा में स्थित है। वादग्रस्त आराजीयात से अप्रार्थीगण का किसी भी प्रकार का कोई लेना–देना सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। प्रार्थीगण गॉव–गॉव, शहर–शहर मॉगकर व मेहनत मजदूरी करके व खेती करके अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करते चले आ रहे हैं। प्रार्थीगण के पास कोई मजदूरी नहीं होने व आर्थिक हालात खराब होने के कारण तथा बच्चों को समय पर दो समय का खाना भी नहीं मिलने के कारण प्रार्थीगण अपने परिवार सहित दूसरे शहरों में कमाने खाने के लिये चले गये। इसी का बेजा फायदा उठाते हुये अप्रार्थी सं. 1 व 2 ने प्रार्थीगण की भूमि खसरा सं. 649 व 650 पर पुख्ता मकानात के निर्माण कर लिये तथा अप्रार्थी सं. 3 लगा. 15 के द्वारा प्रार्थीगण की भूमि खसरा सं. 659 पर कुछ हिस्सो में प्रार्थीगण की अनुपस्थिति का बेजा फायदा उठाते हुये जबरन अतिक्रमण करके पुख्ता मकानात का निर्माण कर लिये जबकि विवादित आराजीयात से अप्रार्थीगण का किसी भी प्रकार का कोई लेना देना सम्बन्ध व सरोकार नही है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण न्यायालय हाजा से इस अमर की बेदखली की निषेधाज्ञा अपने हक में प्राप्त करने के अधिकारी है कि अप्रार्थीगण के द्वारा भूमि खसरा सं. 649, 650 व 659 की भूमि पर किये गये अतिक्रमण व बनाये गये पुख्ता मकानात को ध्वस्त किया जाकर बेदखल किया जाकर भूमि को पूर्व की भांति साफ करवाया जाकर प्रार्थीगण को सम्भलायी जावें। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण से अपना निर्माण को हटाने के लिये कहा तो अप्रार्थीगण ने अपना निर्माण को हटाने से साफ इंकार कर दिया व ऐलानिया कहा कि हम अब प्रार्थीगण की उपरोक्त खसरों की सम्पूर्ण भूमि पर जबरिया कब्जा करके रहेंगे तथा प्रार्थीगण को काश्त नही करने देगे तथा पुख्ता निर्माण करके भूमि को नाकाबिल काश्त कर देंगे तथा अन्य लोगों को बेचान कर देंगे जो लाठी के बल पर प्रार्थीगण को बेदखल कर देगे ऐसी सूरत में प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा इस अमर से पाबंद करवाने के अधिकारी है कि अप्रार्थीगण स्वयं या अपने एजेन्टो नौकरो घरवालो या अन्य मददगारान के विवादित आराजीयात खसरा सं. 649, 650, 659 के किसी भी भू–भाग पर खाम या पुख्ता निर्माण करने से, प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग मे किसी भी प्रकार की दखन्दाजी पैदा करने से, प्रार्थीगण को फसल बोते व काटते समय झगडा फिसाद करने से, किसी को रहन बय करने से पाबंद रहें। दिनांक 25.06.2022 को प्रार्थीगण अपनी भूमि पर बाजरे की फसल बोने के लिये गये तो अप्रार्थीगण आमादा फसाद हो गये तथा प्रार्थीगण को अपनी भूमि में फसल नही बोने दी तथा ऐलानिया कहा कि तुम लोग तो कमाने खाने चले जाते हो, अब तो हमने तुम्हारी कम भूमि पर निर्माण व कब्जा किया है, अब हम तुम्हारी सम्पूर्ण भूमि पर कब्जा करके रहेगे। यदि अप्रार्थीगण अपने नाजायज मकसद की पूर्ति में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण को नुकसान अजीम नाकाबिले तायुन व तखमीना होगा जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर से सम्भव नही हो सकेगी व गैर जरूरी किस्म के मुकदमात दरम्यान फरीकेन चल पडेंगे जो बाय से बरबादी प्रार्थी होंगे। इस कारण प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। अतः निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा इस अमर से पाबंद फरमाया जावे कि अप्रार्थीगण स्वयं या अपने

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)